

पत्रांक-.....

प्रेषक,

सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव,
जिला स्वास्थ्य समिति, मधेपुरा।

सेवा में,

जिला सूचना विज्ञान अधिकारी,
मधेपुरा।

मधेपुरा, दिनांक-.....

विषय :- मधेपुरा जिलान्तर्गत एक-एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर संविदा के आधार पर चिकित्सा पदाधिकारी के नियोजन हेतु वाक-ईन-इंटरव्यू आयोजित करने के लिए विज्ञापन को मधेपुरा जिला के वेबसाईट पर प्रकाशित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि जिला स्वास्थ्य समिति, मधेपुरा जिलान्तर्गत एक-एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर संविदा के आधार पर चिकित्सा पदाधिकारी के नियोजन हेतु वाक-ईन-इंटरव्यू आयोजित करने के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया जाना है। एतद् संबंधी सूचना को मधेपुरा जिला के वेबसाईट पर प्रकाशित करवाने हेतु विज्ञापन का हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी संलग्न कर भेजी जा रही है।

कृपया उक्त सूचना को यथाशीघ्र मधेपुरा जिला के वेबसाईट पर प्रकाशित करवाने का कष्ट करेंगे।

अनुलग्नक :- विज्ञापन प्रारूप की हार्ड कॉपी एवं सीडी।

विश्वासभाजन

हस्ताक्षर

सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव,
जिला स्वास्थ्य समिति, मधेपुरा।

ज्ञापांक- 814, मधेपुरा, दिनांक- 19.01.2017

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, कोशी प्रमंडल, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी -सह- अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

19.01.17
सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव,
जिला स्वास्थ्य समिति, मधेपुरा।

हस्ताक्षर
19.01.17



विज्ञापन

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत मधेपुरा जिला अंतर्गत प्रत्येक प्रखंड के एक-एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए संविदा के आधार पर चिकित्सा पदाधिकारी के नियोजन हेतु वाक-इन-इन्टरव्यू का आयोजन करती है।

पद का नाम	रिक्त पद की विवरणी रोस्टर के साथ	आयु सीमा	योग्यता/अर्हता	मानदेय	वाक-इन-इन्टरव्यू की तिथि, स्थान एवं समय
चिकित्सा पदाधिकारी (अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र)	अनारक्षित-05 अनारक्षित महिला-02 अत्यन्त पि0 वर्ग-01 अ0पि0वर्ग महिला-01 पिछड़ा वर्ग-01 पिछड़ा वर्ग महिला-01 अनुसूचित जाति-01 अनुसूचित जाति महिला-01	अधिकतम -65 वर्ष	1. किसी भी मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय से एम0बी0बी0एस0 स्नातक योग्यता के साथ बिहार एवं उड़ीसा मेडिकल एक्ट 1916 के अन्तर्गत स्थायी रूप से निबंधित। 2. भारतीय चिकित्सा परिषद् एवं सरकार से मान्यता प्राप्त अस्पताल/संस्थान में 12 माह का इन्टर्नशीप प्रशिक्षण अनिवार्य है। इन्टर्नशीप में किसी भी कारण से एक दिन का भी टूट मान्य नहीं होगा। 3. बिहार राज्य चिकित्सा परिषद् से स्थायी निबंधन होना अनिवार्य।	₹0 41,000/- प्रति माह	दिनांक 01.03.2017 से 04.03.2017 तक

नोट- विज्ञापन संबंधित विस्तृत जानकारी मधेपुरा जिला के वेबसाईट www.madhepura.bih.nic.in पर उपलब्ध है।

सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव,
जिला स्वास्थ्य समिति, मधेपुरा।

20.11.17

जिलाधिकारी-सह-अध्यक्ष,
जिला स्वास्थ्य समिति, मधेपुरा।



District Health Society, Madhepura

जिला स्वास्थ्य समिति, मधेपुरा

सदर अस्पताल परिसर, मधेपुरा - 852113
Phone No. - 06476-224266, Fax No. - 06476-224266
E-mail-dhsmadhepura@gmail.com



विज्ञापन

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत मधेपुरा जिला अंतर्गत प्रत्येक प्रखंड के एक-एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए संविदा के आधार पर चिकित्सा पदाधिकारी के नियोजन हेतु वाक-इन-इन्टरव्यू का आयोजन करती है।

पद का नाम	रिक्त पद की विवरणी रोस्टर के साथ	आयु सीमा	योग्यता/अर्हता	मानदेय	वाक-इन-इन्टरव्यू की तिथि, स्थान एवं समय
चिकित्सा पदाधिकारी (अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र)	अनारक्षित-05 अनारक्षित महिला-02 अत्यन्त पि0 वर्ग-01 अ0पि0वर्ग महिला-01 पिछड़ा वर्ग-01 पिछड़ा वर्ग महिला-01 अनुसूचित जाति-01 अनुसूचित जाति महिला-01	65 वर्ष अधिकतम	1. किसी भी मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय से एम0बी0बी0एस0 स्नातक योग्यता के साथ बिहार एवं उड़ीसा मेडिकल एक्ट 1916 के अन्तर्गत स्थायी रूप से निबंधित। 2. भारतीय चिकित्सा परिषद् एवं सरकार से मान्यता प्राप्त अस्पताल/संस्थान में 12 माह का ईन्टर्नशीप प्रशिक्षण अनिवार्य है। इन्टर्नशीप में किसी भी कारण से एक दिन का भी टूट मान्य नहीं होगा। 3. बिहार राज्य चिकित्सा परिषद् से स्थायी निबंधन होना अनिवार्य।	रु0 41,000/- प्रति माह	दिनांक 01.03.2017 से 04.03.2017 तक

नोट- विज्ञापन संबंधित विस्तृत जानकारी मधेपुरा जिला के वेबसाईट www.madhepura.bih.nic.in पर उपलब्ध है।

आवश्यक शर्तें :-

- उपरोक्त पद पूर्णतः अनुबंध पर आधारित है।
- उक्त पद हेतु अधिकतम आयु सीमा दिनांक-01.04.2017 को 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- वाक-इन-इन्टरव्यू में उपस्थित होने के लिए किसी भी प्रकार का T.A/D.A का अनुमान्य नहीं होगा।
- नियोजन पूर्णतः संविदा के आधार पर 11 माह के लिए किया जाएगा। 11 माह के पश्चात चयनित अभ्यर्थियों के संतोषप्रद कार्य, पदों की आवश्यकता एवं राशि की उपलब्धता के आधार पर संविदा विस्तार की जा सकती है।
- संविदागत नियोजन के आधार पर किसी भी तरह का नियमितीकरण अथवा पुर्ननियोजन का दावा मान्य नहीं होगा।
- केवल बिहार राज्य के अभ्यर्थियों को नियमानुसार आरक्षण का लाभ देय होगा।
- अभ्यर्थियों को अपने सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र तथा अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ एक स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति एवं दो पासपोर्ट साईज रंगीन फोटो के साथ वाक-इन-इन्टरव्यू में उपस्थित होना होगा।
- वर्तमान में कोटिवार रिक्ति की संख्या में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नियोजन पूर्व एवं नियोजन पश्चात् करने हेतु बिना किसी सूचना के जिला स्वास्थ्य समिति, मधेपुरा का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
- जिला स्वास्थ्य समिति, मधेपुरा/राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार उपरोक्त पद या पद की संख्या या विज्ञापन रद्द या पद को बिना सूचना के समाप्त/ परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।
- वैसे अभ्यर्थी जो आवेदित पद पर किसी अन्य जिले में कार्यरत है तो संबंधित जिले के जिला स्वास्थ्य समिति का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करके ही साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय इस आशय का घोषणा पत्र/शपथ पत्र चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा कि वे किसी अन्य जिला स्वास्थ्य समिति में समान पद पर कार्यरत नहीं है अगर भविष्य में यह पाया जाता है कि आप साक्षात्कार की तिथि में कहीं अन्य स्थान पर समान पद पर कार्यरत थे तो आपकी नियुक्ति स्वतः समाप्त हो जाएगी।
- निर्धारित स्थान, तिथि एवं समय पर उपस्थित नहीं होने पर किसी भी परिस्थिति में उनका अभ्यर्थित्व स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- उपरोक्त सभी पदों के सामने अंकित मानदेय के अलावे चयनित अभ्यर्थियों को अन्य कोई भी राशि देय नहीं होगी।
- दिनांक- 01.03.2017 से 04.03.2017 तक आयोजित वाक-इन-इन्टरव्यू के पश्चात पद रिक्त रहने की स्थिति में प्रत्येक पाक्षिक वाक-इन-इन्टरव्यू आयोजित की जाएगी, जब तक की सभी पद भर ना जायें। इसके लिए अलग से कोई सूचना नहीं दी जाएगी।

सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव,
जिला स्वास्थ्य समिति, मधेपुरा।

20/1/17

जिलाधिकारी-सह-अध्यक्ष,
जिला स्वास्थ्य समिति, मधेपुरा।